


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किटकोर्ट रीवा संभाग रीवा  
R-5070-115 (म0प्र0) R-5070-115



Rs 20/-

1. लक्ष्मण कलार तनय माधौ कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील-मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)
2. लालमणि कलार तनय माधौ कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील-मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)
3. शम्भू कलार तनय माधौ कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील-मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)
4. विश्राम कलार तनय माधौ कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील-

श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किटकोर्ट रीवा संभाग रीवा  
द्वारा आज दिनांक 23.09.15 को प्रस्तुत किया गया।

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

रीवा सर्किट कोर्ट रीवा राधे कलार पिता मेधई कलार (मृतक) द्वारा वारिसान-

- (अ) मुस. सुकबरिया बेवा पत्नी स्व. राधे कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील- मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)
  - (ब) छोटनलाल जायसवाल तनय स्व. राधे कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील- मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)
  - (स) मुन्नालाल जायसवाल तनय स्व. राधे कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील- मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)
2. फक्कड़ कलार तनय स्व. मेधई कलार, निवासी ग्राम-रतनगवाँ, तहसील- मरुगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)

गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र. 29/अपील/2014-15 आदेश दिनांक 26.08.2015.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

नि.अ. लक्ष्मण कलार

नि.अ. लालमणि कलार

श्रीमान्

नि.अ. राजस्व मण्डल

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. १९.८८२०/११.१८.... जिला २१वा

स्थान तथा दिनांक	व्यक्ति कार्यवाही तथा आदेश सर्वे कला सुकावा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१.१२.१५	<p>प्रकरण में आवेदक आध० श्री राजकुमार शुक्ला उपास्थित। उद्देश्य प्रकरण में गृह्यता पर सुना गया।</p> <p>२- आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगम में अंकित हैं जिन्हें यद्यपि पुनः दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उद्देश्य में लिया जा रहा है।</p> <p>३- प्रकरण में अनावेदक गण की ओर से भी अधिवक्ता श्री आर० एस० शर्मा के विरुद्ध आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण के अन्तर्गत है।</p> <p>४- आवेदक आध० की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं निगम में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ-मायाव्यय अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक २६.८.१५ का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण को तदसीलदार के प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि ६६ उमयपदा की सुनवाई का अवसर देकर व्यक्त-माया के निर्णय दिनांक-२१-११-२०१० के अनुसार व्यवहार आवेदन पत्र पर हितवह व्यक्तियों</p>	

R. 5070/11/15

दीवा

स्थान तथा दिनांक	अप्रमण कार्यवाही तथा आदेश राधे कलाल	पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर
	<p>को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय लें। इस वंदित की द्वाारा 49 मे दिसम्बर 2011 मे हुए संशोधन के अनुसार प्रकण (अपील) निर्णय हेतु अधीन-यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती। इस प्रकार अप्रमण का प्रकण उपरोक्तानुसार अधीनस्थ को प्रकण को प्रत्यावर्तित करने संबंधी आदेश दिनांक 26-8-15 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकण अप्रमण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे इस प्रकण के पैरा 4 मे अंकित तथा अप्रमण के -यायालयीन आदेश दिनांक 26-8-15 के अंतिम पैरा मे अंकित निर्णय (अभयपक्षों को सुनवाई का अवसर अवसर प्रदान करते हुए पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह सिगल प्रकण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीन-यायालय को भेजी जावे। प्रकण दायित्व रिकार्ड है।</p>	<p> दिनांक 11/2/15</p>

M ✓